



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : SEPTEMBER 10, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

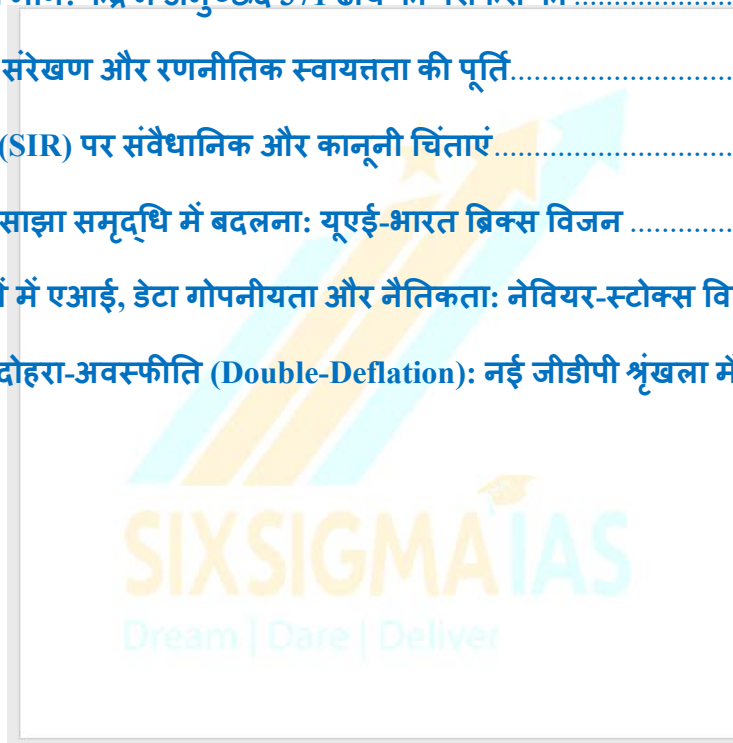


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. त्रि-भाषा सूत्र के तहत अंग्रेजी को 'देशी भाषा' मानने पर केंद्र का रुख	2
2. ब्रिक्स (BRICS) का विस्तार और आर्थिक गतिशीलता: भारत के लिए भू-राजनीतिक दांव और चुनौतियां	4
3. BRICS+ विस्तार: आर्थिक दांव और भू-राजनीतिक दरारें	5
4. डेटा उपयोग पर कराधान संबंधी DoT के प्रस्ताव को रद्द किया गया	7
5. सरकार E20 से आगे एथेनॉल सम्मिश्रण की अनुमति देने पर कर रही है काम	8
6. आरबीआई रिटेल प्लेटफॉर्म पर पांच मुद्रा जोड़े पेश करेगा	10
7. लद्दाख स्वायत्तता की मांग: केंद्र ने अनुच्छेद 371 ढांचे की पेशकश की	11
8. भारत-ईयू रणनीतिक संरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता की पूर्ति	12
9. विशेष गहन संशोधन (SIR) पर संवैधानिक और कानूनी चिंताएं	14
10. आर्थिक सहयोग को साझा समृद्धि में बदलना: यूएई-भारत ब्रिक्स विजन	15
11. गणितीय सफलताओं में एआई, डेटा गोपनीयता और नैतिकता: नेवियर-स्टोक्स विवाद	17
12. उत्पादक मूल्य और दोहरा-अवस्फीति (Double-Deflation): नई जीडीपी श्रृंखला में प्रमुख बदलाव	18



1. त्रि-भाषा सूत्र के तहत अंग्रेजी को 'देशी भाषा' मानने पर केंद्र का रुख

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **अंग्रेजी के वर्गीकरण पर रुख:** केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि वह शैक्षणिक ढांचे के भीतर अंग्रेजी को एक स्वदेशी या "देशी" (native) भारतीय भाषा के रूप में मानने का विरोध करती है।
- **त्रि-भाषा सूत्र का संदर्भ:** यह बहस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पाठ्यक्रम के तहत अंग्रेजी को "गैर-देशी" या विदेशी भाषा की श्रेणी में स्थानांतरित करने पर केंद्रित है।

- **CBSE छात्रों के लिए राहत:** सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि कक्षा 10 की CBSE परीक्षाओं में कक्षा 6 के छात्रों को अनिवार्य तीसरी भाषा के पेपर से एक बार की छूट देने के लिए त्वरित परामर्श आयोजित किए जाएंगे।
- **कानूनी प्रतिनिधित्व:** सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के समक्ष ये प्रस्तुतियां दीं।
- **अल्पसंख्यक स्कूलों की याचिकाएं:** उच्चतम न्यायालय ने त्रि-भाषा योजना के क्रियान्वयन को चुनौती देने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं पर सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया।
- **लंबित प्रस्तुतियां:** सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह औपचारिक प्रस्तुति देने का अनुरोध किया कि क्या अंग्रेजी को सख्ती से एक विदेशी/गैर-देशी भाषा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।



आवश्यक परिभाषाएं

- **त्रि-भाषा सूत्र (Three-Language Formula):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) द्वारा पेश किया गया और NEP 2020 में पुनारूपित किया गया एक नीतिगत ढांचा, जो छात्रों को तीन भाषाएं सीखने के लिए बाध्य करता है: क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा, हिंदी (गैर-हिंदी राज्यों में) या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा (हिंदी भाषी राज्यों में), और अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भाषा।
- **स्वदेशी भाषा (Indigenous Language):** किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक समूह से मूल रूप से उत्पन्न होने वाली भाषा, न कि औपनिवेशिक या विदेशी प्रशासन के माध्यम से पेश की गई भाषाएं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 343:** देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, जबकि संसद द्वारा विनियमित आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 350A:** भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का राज्यों को निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 30:** धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- **आठवीं अनुसूची:** भारत की 22 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है; विशेष रूप से, इनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है।

निष्कर्ष

उच्चतम न्यायालय के समक्ष केंद्र का रुख देशी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी जैसी विरासत में मिली प्रशासनिक भाषाओं के बीच के अंतर को सुदृढ़ करता है। वर्तमान छात्रों के लिए शैक्षणिक सुगमता के साथ भाषा संरक्षण को संतुलित करते हुए, यह मुद्दा राष्ट्रीय भाषा नीतियों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता के बीच जारी टकराव को उजागर करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान (अनुच्छेद 30, 343, 350A), मौलिक अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, शिक्षा के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार।
- **जीएस पेपर I:** सामाजिक अधिकारिता, सांस्कृतिक विविधता, और भारतीय समाज में बहुलवाद।

2. ब्रिक्स (BRICS) का विस्तार और आर्थिक गतिशीलता: भारत के लिए भू-राजनीतिक दांव और चुनौतियां

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **विस्तार और आर्थिक वजन:** BRICS+ का विस्तार 11 सदस्य देशों तक हो गया है, जिसमें इंडोनेशिया जैसे हालिया जुड़ाव शामिल हैं। यह 2026 में वैश्विक जीडीपी के लगभग 30% हिस्सा का प्रतिनिधित्व करता है (जो 2009 में 19.7% था) और G7 के साथ आर्थिक अंतर को कम कर रहा है।
- **आंतरिक भू-राजनीतिक मतभेद:** गहरी द्विपक्षीय प्रतिद्वंद्विता—जैसे भारत-चीन सीमा विवाद, संयुक्त अरब अमीरात/सऊदी अरब बनाम ईरान तनाव, मिस्र-इथियोपिया नील नदी जल विवाद, और रूस के संबंध में दक्षिण अफ्रीका व ब्राजील को बाध्य करने वाले आईसीसी (ICC) के कानूनी दायित्व—ब्लॉक के भीतर सहमति बनाने को जटिल बनाते हैं।
- **वि-डॉलरीकरण और NDB वित्तपोषण:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) द्वारा परियोजना वित्तपोषण में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी घटकर 60% से कम हो गई है, जिसमें चीनी युआन, भारतीय रुपया (भारतीय NDB परियोजनाओं का 57%), और दक्षिण अफ्रीकी रैंड जैसी राष्ट्रीय मुद्राओं पर निर्भरता बढ़ रही है।
- **ब्लॉक के भीतर व्यापार वृद्धि:** BRICS+ के भीतर व्यापार में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिसने यूरोपीय संघ, G20 और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे ब्लॉकों की वृद्धि दरों को पीछे छोड़ दिया है, जो मजबूत आर्थिक अंतर-संबद्धता को दर्शाता है।
- **भारत की व्यापार विषमता:** भारत BRICS+ के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन का अनुभव करता है, क्योंकि वित्त वर्ष 2026 में भारत के कुल आयात का 41.5% हिस्सा (मुख्य रूप से चीन, यूएई और रूस से) इसी ब्लॉक से आता है, जबकि इसके कुल निर्यात का केवल 22.3% हिस्सा इसमें जाता है।
- **सहमति दस्तावेजों का अभाव:** हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठकों के दौरान आंतरिक मतभेद गहराते दिखाई दिए, जहां सदस्य देश एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने में विफल रहे और इसके बजाय केवल एक 'अध्यक्षीय वक्तव्य' (Chair's statement) का विकल्प चुना।

आवश्यक परिभाषाएं

- **वि-डॉलरीकरण (De-dollarization):** वह रणनीतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के एक प्रमुख माध्यम, आरक्षित संपत्ति और द्विपक्षीय निपटान तंत्र के रूप में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करते हैं।

- **ग्लोबल साउथ (Global South):** एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकासशील, उभरते या गैर-पश्चिमी देशों का वर्णन करने वाला एक वैचारिक शब्द जो वैश्विक शासन संस्थानों में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व चाहते हैं।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए 2014 में ब्रिक्स राज्यों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय कानून को प्रोत्साहित करने और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे का निर्देश देते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का रोम विधान:** दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों को सक्रिय आईसीसी वारंट निष्पादित करने के लिए बाध्य करने वाला कानूनी ढांचा, जो रूस जैसे गैर-हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ राजनयिक तनाव पैदा करता है।
- **विदेश व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992:** भारत के आयात-निर्यात ढांचे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों और BRICS+ जैसे व्यापारिक साझेदारों के साथ शुल्क युक्तिकरण को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

यद्यपि BRICS+ आर्थिक बहुध्रुवीयता और ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करता है, इसकी दीर्घकालिक सफलता गंभीर आंतरिक तनावों को प्रबंधित करने पर निर्भर करती है। भारत के लिए, रणनीतिक स्वायत्तता के साथ अपनी आयात निर्भरताओं को संतुलित करना एक प्रमुख राजनयिक चुनौती बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव; महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन से संबंधित मुद्दे।

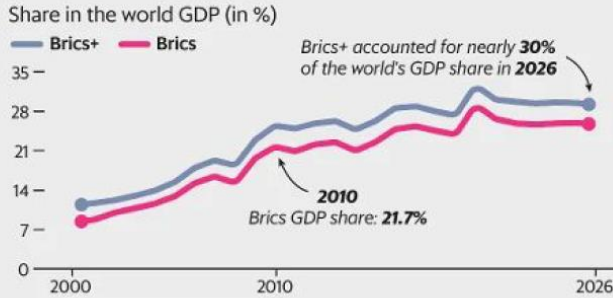
3. BRICS+ विस्तार: आर्थिक दांव और भू-राजनीतिक दरारें

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **बढ़ता आर्थिक प्रभाव:** विस्तारित BRICS+ समूह 2026 में वैश्विक जीडीपी के लगभग 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो 2010 में 21.7% से उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है और एक प्रमुख आर्थिक ब्लॉक के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है।
- **विस्तारित सदस्यता आधार:** व्यापक BRICS+ ढांचे में अब मूल सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

- **चीन-भारत भू-राजनीतिक तनाव:** निरंतर सीमा विवाद, व्यापार प्रतिस्पर्धा और दक्षिण एशिया में रणनीतिक प्रभाव को लेकर प्रतिद्वंद्विता समूह के भीतर भारत और चीन के बीच आंतरिक चुनौतियां पैदा करती रहती हैं।
- **पश्चिम एशियाई राजनयिक विभाजन:** भिन्न भू-राजनीतिक संरेखण तनाव पैदा करते हैं, विशेष रूप से चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों के बीच एक तरफ अमेरिका-संरेखित यूएई और सऊदी अरब तथा दूसरी तरफ ईरान के बीच।

RISING STAKES



Brics includes Brazil, Russia, India, China, and South Africa, and Brics+ includes new members: Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, Iran, the UAE and Indonesia. Data from 2025 are estimates for all countries except the UAE, for which estimates are used from 2024.

FAULT LINES

Details of rivalry/friction among Brics+ members

China vs India

Border disputes, economic competition and geopolitical rivalry over influence in South Asia.

UAE and Saudi Arabia vs Iran

Rivals in the ongoing West Asia war. The UAE is a US ally, while Iran is on the other side.

Egypt vs Ethiopia

Rivalry over Nile water rights, regional influence, and control of dam operations.

South Africa and Brazil vs Russia

South Africa and Brazil are members of the International Criminal Court (ICC), which means they are legally obligated to arrest Russian President Vladimir Putin under the active ICC arrest warrant if he enters their territory.

- **नील नदी संसाधन संघर्ष:** जल अधिकारों, क्षेत्रीय प्रभाव और ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध के संचालन के संबंध में मिस्र और इथियोपिया के बीच राजनयिक और सुरक्षा तनाव बना हुआ है।
- **अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व:** भिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं आंतरिक सुसंगतता को प्रभावित करती हैं, क्योंकि आईसीसी (ICC) सदस्य दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील गैर-आईसीसी सदस्य देशों के विपरीत रूसी नेतृत्व के संबंध में सक्रिय गिरफ्तारी वारंट के तहत कानूनी दायित्वों का सामना करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **BRICS+:** मूल सदस्य देशों के साथ-साथ नव प्रवेशित उभरते राष्ट्रों को शामिल करने वाला एक विस्तारित भू-राजनीतिक और आर्थिक बहुपक्षीय समूह, जिसका उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना है।
- **बहुध्रुवीयता (Multipolarity):** वैश्विक शक्ति का एक ऐसा वितरण जिसमें कई राष्ट्र-राज्य महत्वपूर्ण आर्थिक, सैन्य और राजनयिक प्रभाव डालते हैं, जो एकल-शक्ति या द्वि-शक्ति आधिपत्य को चुनौती देते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):** नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराधों जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित एक स्वतंत्र स्थायी न्यायिक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** एक राज्य का नीति निदेशक तत्व (DPSP) जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है।
- **आईसीसी का रोम विधान (Rome Statute):** आईसीसी की स्थापना करने वाली मूलभूत बहुपक्षीय संधि, जो क्षेत्राधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहायता के संबंध में सदस्य हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी कानूनी दायित्व पैदा करती है।

- **अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1997):** नील नदी जैसी साझा सीमा-पार नदियों के न्यायसंगत उपयोग और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा।

निष्कर्ष

यद्यपि BRICS+ महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक वजन को समेकित करना जारी रखता है, इसकी दीर्घकालिक संस्थागत एकजुटता इसके सदस्य देशों के बीच जटिल द्विपक्षीय प्रतिद्वंद्विताओं और परस्पर विरोधी कानूनी दायित्वों को नेविगेट करने पर निर्भर करती है। आंतरिक दरारों के बावजूद सहमति बनाना इस ब्लॉक के लिए ग्लोबल साउथ की एक प्रभावी आवाज के रूप में कार्य करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान।
- **जीएस पेपर I:** महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं और जल-निकायों में परिवर्तन (सीमा-पार नदी संघर्ष)।

4. डेटा उपयोग पर कराधान संबंधी DoT के प्रस्ताव को रद्द किया गया

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **प्रस्ताव रद्द:** तकनीकी चुनौतियों और खपत संबंधी चिंताओं के कारण दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा मोबाइल डेटा उपयोग पर प्रति-गीगाबाइट के आधार पर कर लगाने के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है।
- **तीव्र डेटा उछाल:** भारत में मोबाइल डेटा की खपत वित्त वर्ष 2026 में 285 अरब GB तक पहुंच गई, जो 1.29 अरब मोबाइल ग्राहकों के साथ वित्त वर्ष 2025 के 229 अरब GB से वर्ष-दर-वर्ष 24.5% की वृद्धि को दर्शाती है।
- **वर्तमान कर संरचना:** भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता वर्तमान में मोबाइल प्लान रिचार्ज पर 18% वस्तु एवं सेवा कर (GST) देते हैं, जबकि प्रति-GB वॉल्यूमेट्रिक कराधान विश्व स्तर पर असामान्य बना हुआ है।
- **नियामक विकल्प:** विशेषज्ञों और अधिकारियों ने बच्चों में डिजिटल लत से निपटने के लिए प्रतिगामी डेटा कराधान के बजाय आयु सत्यापन, सामग्री प्रतिबंध और अभिभावकीय नियंत्रण जैसे गैर-वित्तीय उपायों का सुझाव दिया।
- **राजस्व चालक:** इस प्रस्ताव का उद्देश्य घटती स्पेक्ट्रम नीलामी प्राप्तियों के बीच DoT के गैर-कर राजस्व में विविधता लाना था, जो 2022 में 4.3 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2024 में 11,341 करोड़ रुपये रह गई थी।
- **नीतिगत संरेखण:** डेटा खपत पर कर लगाना सीधे तौर पर सरकार की प्रमुख डिजिटल इंडिया वकालत का खंडन करता था और व्यापक इंटरनेट अपनाने को बाधित करने का जोखिम उठाता था।

आवश्यक परिभाषाएं

- **औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU):** दूरसंचार में एक प्रमुख वित्तीय मीट्रिक जो एक निर्दिष्ट अवधि में व्यक्तिगत ग्राहक कनेक्शन से उत्पन्न औसत राजस्व को मापता है।
- **प्रतिगामी कराधान (Regressive Taxation):** एक ऐसी कर संरचना जहां करदाता की आय बढ़ने पर कर की दर घटती है, जो कम आय वाले उपभोक्ताओं पर आनुपातिक रूप से अधिक वित्तीय बोझ डालती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265:** यह अनिवार्य करता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी नई कर धाराओं के लिए संसदीय मंजूरी सुनिश्चित होती है।
- **प्रविष्टि 31, सूची I (संघ सूची):** केंद्र सरकार को डाक, तार, टेलीफोन, वायरलेस, प्रसारण और संचार के अन्य समान रूपों पर अनन्य विधायी क्षमता प्रदान करती है।
- **दूरसंचार अधिनियम, 2023:** ऐतिहासिक तार अधिनियम (Telegraph Act) को प्रतिस्थापित करते हुए दूरसंचार नेटवर्क, स्पेक्ट्रम आवंटन, उपयोगकर्ता सुरक्षा और नियामक ढांचों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समेकित और आधुनिक बनाता है।



निष्कर्ष

प्रति-GB डेटा कर प्रस्ताव को छोड़ना तत्काल राजकोषीय निष्कर्षण के बजाय डिजिटल समावेशन और नेटवर्क वृद्धि को प्राथमिकता देने वाले संतुलित नीतिगत विकल्प को दर्शाता है। लक्षित नियामक हस्तक्षेपों के माध्यम से डिजिटल लत को संबोधित करना जन कल्याण सुनिश्चित करते हुए भारत की डिजिटल गति को बनाए रखता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिज़ाइन व कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, अप्रत्यक्ष कराधान, और राजस्व सृजन) तथा बुनियादी ढांचा (दूरसंचार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर)।

5. सरकार E20 से आगे एथेनॉल सम्मिश्रण की अनुमति देने पर कर रही है काम

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **E20 से आगे नीतिगत विस्तार:** केंद्र सरकार एथेनॉल सम्मिश्रण को E20 (20% एथेनॉल सम्मिश्रण) के वर्तमान लक्ष्य स्तर से आगे अनुमति देने के लिए सक्रिय रूप से रूपरेखा तैयार कर रही है।
- **फ्लेक्सी-फ्यूल वाहनों (FFVs) की भूमिका:** नीतिगत बदलाव काफी हद तक फ्लेक्सी-फ्यूल वाहनों की शुरुआत से सक्षम होगा, जिसमें कई प्रमुख वाहन निर्माता आगामी रोलआउट की तैयारी कर रहे हैं।

- **E20 कार्यक्रम की सफलता:** प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने 'द इंडिया शुगर एंड बायो-एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2026' के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए E20 पहल के मजबूत क्रियान्वयन और सफलता पर प्रकाश डाला।
- **चीनी उद्योग तालमेल:** यह विस्तार अधिशेष गन्ना प्रसंस्करण को जैव ईंधन उत्पादन की ओर स्थानांतरित करके भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और मांग में विविधता प्रदान करता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत:** एथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ाने से कच्चे तेल की आयात निर्भरता कम होती है, मूल्यवान विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है, और परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।
- **ऑटोमोटिव अनुकूलन:** सम्मिश्रण अनुपात को 20% से अधिक बढ़ाने के लिए इंजन संशोधन, जंग-रोधी घटकों और उच्च-सम्मिश्रण ईंधन वितरण बुनियादी ढांचे की व्यापक उपलब्धता की आवश्यकता होती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP):** जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कृषि फीडस्टॉक से उत्पादित बायो-एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के उद्देश्य से बनाई गई एक रणनीतिक पहल।
- **फ्लेक्स-फ्यूल वाहन (FFVs):** लचीले ईंधन मिश्रणों, जैसे E85 तक के पेट्रोल और एथेनॉल के संयोजन या 100% हाइड्रस एथेनॉल पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए आंतरिक दहन इंजनों से लैस वाहन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2018):** परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में जैव ईंधन विकास, फीडस्टॉक के वर्गीकरण और सम्मिश्रण लक्ष्यों के लिए नियामक रोडमैप प्रदान करती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य का नीति निदेशक तत्व (DPSP) जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988:** उत्सर्जन मानकों, ईंधन विशिष्टताओं और फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को नियंत्रित करने वाले वाहन प्रकार-अनुमोदन नियमों को निर्धारित करने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

एथेनॉल सम्मिश्रण को E20 सीमा से आगे बढ़ाना एक ठिकाऊ जैव-अर्थव्यवस्था की ओर एक परिपक्व परिवर्तन को दर्शाता है। सुगम क्रियान्वयन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सुसंगत फीडस्टॉक उपलब्धता के साथ ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षमताओं का सामंजस्य बिठाना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (ऊर्जा क्षेत्र और कृषि विपणन), पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण निवारण, और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी।

- **जीएस पेपर II:** प्रमुख बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

6. आरबीआई रिटेल प्लेटफॉर्म पर पांच मुद्रा जोड़े पेश करेगा

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **FX रिटेल प्लेटफॉर्म का विस्तार:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उपभोक्ता पहुंच को व्यापक बनाने के लिए अपने रिटेल विदेशी मुद्रा मंच पर पांच नए मुद्रा जोड़े जोड़ने के लिए तैयार है।
- **शामिल नई मुद्राएं:** यह प्लेटफॉर्म अब यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेगा।
- **संवर्धित व्यक्तिगत पहुंच:** मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आरबीआई की मुख्य महाप्रबंधक डिंपल भांडिया द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य व्यक्तियों को वैश्विक मुद्राओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक आसान पहुंच प्रदान करना है।
- **खुदरा प्रतिभागियों का सशक्तीकरण:** विदेशी मुद्रा पहुंच को सुव्यवस्थित करके, यह कदम खुदरा उपयोगकर्ताओं को संस्थागत स्तर के विदेशी मुद्रा तंत्र के करीब लाता है।
- **वित्तीय बाजारों को गहरा करना:** यह संरचनात्मक संवर्धन घरेलू वित्तीय बाजारों को गहरा करने और लेनदेन के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के व्यापक नीतिगत लक्ष्य का समर्थन करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **फॉरेक्स (FX) रिटेल प्लेटफॉर्म:** एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिसे खुदरा ग्राहकों की अनुमति प्राप्त मुद्रा लेनदेन निष्पादित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **मुद्रा जोड़ा (Currency Pair):** एक दूसरे के मुकाबले उद्धृत दो अलग-अलग मुद्राएं, जहां एक मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में दूसरी के सापेक्ष निर्धारित होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** केंद्रीय बैंक को मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने और भारत के वित्तीय बाजारों में व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने का अधिकार देता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** विदेशी मुद्रा लेनदेन, बाहरी व्यापार, भुगतान, और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानूनी ढांचा।

निष्कर्ष

FX रिटेल प्लेटफॉर्म में अतिरिक्त मुद्रा जोड़ों को एकीकृत करना व्यक्तिगत प्रतिभागियों के लिए विदेशी मुद्रा पहुंच के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। पारदर्शिता और निष्पादन में आसानी को बढ़ाना भारत के खुदरा वित्तीय ढांचे को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था (बैंकिंग, वित्तीय बाजार, मौद्रिक नीति, और बाहरी क्षेत्र की गतिशीलता)।

7. लद्दाख स्वायत्तता की मांग: केंद्र ने अनुच्छेद 371 ढांचे की पेशकश की

प्रमुख बिंदु और सारांश

- अनुच्छेद 371(K) का प्रस्ताव:** गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को विशेष सुरक्षा और सुरक्षा उपाय देने के लिए अनुच्छेद 371(K) के तहत एक विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान पेश करने की पेशकश की।
- निर्वाचित UT-स्तरीय निकाय:** गृह मंत्रालय ने भूमि, संस्कृति, भाषा, वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों सहित प्रमुख विषयों पर विधायी शक्तियों के साथ एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित UT-स्तरीय शासन निकाय का प्रस्ताव रखा।
- प्रशासनिक सर्वोच्चता की मांग:** लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) सहित लद्दाख के प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रस्तावित विधानसभा को स्थानीय नौकरशाही पर सर्वोच्चता बनाए रखनी चाहिए और कानून व व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए।
- औपचारिक मसौदे का अभाव:** प्रतिनिधियों ने अनुच्छेद 371(K) के सटीक प्रावधानों का विवरण देने वाले एक ठोस लिखित मसौदे की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की, और ध्यान दिलाया कि आगे का परामर्श अक्टूबर के लिए निर्धारित है।
- अपरिवर्तनीय परिवर्तनों के खिलाफ सुरक्षा उपाय:** LAB और KDA ने मांग की कि जब तक एक निर्वाचित UT-स्तरीय विधायी निकाय का औपचारिक रूप से गठन नहीं हो जाता, तब तक बड़े पैमाने पर भूमि हस्तांतरण या संरचनात्मक प्रशासनिक पुनर्गठन पर रोक लगाई जाए।
- मुआवजा और कानूनी मांगें:** क्षेत्रीय नेताओं ने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा पैकेज के साथ-साथ सितंबर 2025 के आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी कानूनी मामलों को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया।

आवश्यक परिभाषाएं

- अनुच्छेद 371 श्रृंखला:** विशिष्ट राज्यों और क्षेत्रों के सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक हितों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत विशेष संवैधानिक प्रावधान।
- बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित एक प्रशासनिक प्रभाग।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 371:** विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय क्षेत्रों में स्वदेशी संस्कृति, भूमि स्वामित्व और स्थानीय प्रशासन की रक्षा के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

- **अनुच्छेद 240:** भारत के राष्ट्रपति को लद्दाख सहित कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019:** पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, जिससे लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 371(K) के तहत विशेष दर्जे की केंद्र की पेशकश लद्दाख के लोकतांत्रिक घाटे और सांस्कृतिक चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आम सहमति हासिल करना पारदर्शी, मसौदा-समर्थित आश्वासनों को प्रदान करने पर निर्भर करेगा जो स्थानीय प्रशासनिक आकांक्षाओं को संघीय शासन ढांचे के साथ जोड़ते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान (भाग XXI के तहत विशेष प्रावधान), संघवाद, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, और शासन तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
- **जीएस पेपर I:** सामाजिक अधिकारिता, स्वदेशी संस्कृतियों का संरक्षण, और क्षेत्रीयता।

8. भारत-ईयू रणनीतिक संरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता की पूर्ति

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **अमेरिकी अप्रत्याशितता के खिलाफ हेजिंग:** वाशिंगटन में बढ़ती घरेलू अस्थिरता, संरक्षणवादी व्यापार नीतियां और अचानक टैरिफ बदलाव भारत के लिए किसी एकल महाशक्ति पर विशेष निर्भरता से दूर अपनी राजनयिक प्रतिबद्धताओं में विविधता लाना आवश्यक बनाते हैं।
- **ऐतिहासिक भारत-ईयू एफटीए (FTA):** 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में 27 जनवरी को हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता—जिसे "सभी सौदों की मां" (mother of all deals) कहा गया—2 अरब उपभोक्ताओं और वैश्विक जीडीपी के लगभग एक तिहाई हिस्से को कवर करता है, जिससे व्यापार की जाने वाली 96% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ कम या समाप्त हो जाता है।
- **रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी:** व्यापार सौदे के साथ-साथ, भारत और ईयू ने एक व्यापक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौते को निष्पादित किया, जिससे समुद्री सुरक्षा, साइबर-रक्षा, आतंकवाद-विरोधी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त सहयोग का विस्तार हुआ।
- **रक्षा औद्योगिक सहयोग:** यह गठबंधन भारत को यूरोप की €150 बिलियन की 'सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप' पहल तक रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है, जिससे संयुक्त रक्षा सह-उत्पादन, हार्डवेयर विविधीकरण और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है।
- **चीनी विस्तारवाद का साझा मुकाबला:** दोनों शक्तियां चीनी आर्थिक दबाव, राज्य के नेतृत्व वाले व्यापार विकृतियों, शिकारी कनेक्टिविटी परियोजनाओं और भारत-प्रशांत समुद्री मार्गों के बढ़ते सैन्यीकरण पर आपसी चिंताएं साझा करती हैं।

- **रणनीतिक स्वायत्तता को पुनर्परिभाषित करना:** आधुनिक रणनीतिक स्वायत्तता को निष्क्रिय अलगाववाद या गुटनिरपेक्षता के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति परिवर्तनों से बचाव के लिए परस्पर जुड़े, उच्च-मूल्य वाले साझेदारियों की सक्रिय खेती के रूप में तैयार किया गया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** बाहरी शक्तियों द्वारा विवश या प्रभुत्व जमाए बिना अपने राष्ट्रीय हितों का पीछा करने और स्वतंत्र विदेश नीति विकल्प चुनने की किसी संप्रभु राष्ट्र की क्षमता।
- **चाइना प्लस वन रणनीति (China Plus One Strategy):** एक वैश्विक व्यावसायिक रणनीति जहां बहुराष्ट्रीय निगम और राष्ट्र परिचालन और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए चीन से परे अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश गंतव्यों में विविधता लाते हैं।
- **सिक्वोरिटी एक्शन फॉर यूरोप (SAFE):** एक यूरोपीय संघ का वित्तपोषण और संस्थागत ढांचा जिसका उद्देश्य विश्वसनीय वैश्विक सहयोगियों के साथ रक्षा क्षमताओं, संयुक्त खरीद और रणनीतिक सुरक्षा साझेदारियों को बढ़ाना है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** निदेशक तत्व जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून व संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **विदेश व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992:** केंद्र सरकार को कानूनी रूप से भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करने, निष्पादित करने और लागू करने का अधिकार देता है।
- **सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975:** नियामक ढांचा जिसके तहत केंद्र सरकार हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों के तहत निर्धारित प्राथमिकता वाले टैरिफ संशोधनों और टैरिफ में कटौती को लागू करती है।

निष्कर्ष

यूरोप के साथ एक लचीली, बहुआयामी साझेदारी का निर्माण भारत को क्षेत्रीय चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करते हुए अमेरिकी भू-राजनीतिक अस्थिरता को संतुलित करने की अनुमति देता है। यह रणनीतिक अभिसरण एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में एक अपरिहार्य ध्रुव के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन), विदेश व्यापार, और रक्षा उत्पादन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

9. विशेष गहन संशोधन (SIR) पर संवैधानिक और कानूनी चिंताएं

प्रमुख बिंदु और सारांश

- व्यापक मतदाता निष्कासन:** भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) के कारण देश भर में 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिनमें दिल्ली में 48 लाख और महाराष्ट्र में लगभग 2 करोड़ नाम शामिल हैं।
- मनमाने ढंग से बाहर किए जाने पर चिंताएं:** आलोचकों का तर्क है कि यह बड़े पैमाने पर नाम हटाने का अभ्यास "विशेष गहन निष्कासन" (SIE) के रूप में कार्य करता है, जो वैध पहचान दस्तावेज होने के बावजूद नागरिकों से उनके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों को मनमाने ढंग से छीनता है।
- संविधान सभा की मंशा से भटकाव:** निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माताओं द्वारा स्थापित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के मूल सिद्धांतों की अनदेखी करने के लिए इस अभ्यास की आलोचना की जाती है।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनदेखी:** बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 की धारा 22 के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना नाम हटा दिए, जिसके तहत नाम हटाने से पहले उचित जांच और सुनवाई की आवश्यकता होती है।
- सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का नुकसान:** मतदाता सूचियों से मतदाताओं का नाम हटाए जाने से गंभीर अनिश्चितता पैदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट, राशन कार्ड और कल्याणकारी योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण नागरिकता-जुड़े लाभों का संभावित नुकसान हो सकता है।
- नागरिकों पर बोझ का स्थानांतरण:** निर्वाचन आयोग द्वारा सक्रिय सत्यापन के बजाय, सबूत देने और फिर से नाम जुड़वाने का पूरा बोझ जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बाहर किए गए नागरिकों पर डाल दिया गया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR):** मतदाता सूचियों की शुद्धता को सत्यापित करने और अयोग्य या गैर-मौजूद मतदाताओं को हटाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आयोजित एक व्यापक घर-घर गणना अभ्यास।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage):** संपत्ति, धन या स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, एक निर्दिष्ट आयु से ऊपर के प्रत्येक वयस्क नागरिक को समान मतदान अधिकार प्रदान करने वाला संवैधानिक सिद्धांत।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326:** प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के अधिकार की गारंटी देता है, जो केवल गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट आचरण जैसी वैधानिक अयोग्यताओं के अधीन है।
- अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है, जिससे मतदाताओं का मनमाना और भेदभावपूर्ण निष्कासन असंवैधानिक हो जाता है।

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 की धारा 16:** मतदाता सूची में पंजीकरण से अयोग्यता के विशिष्ट कानूनी आधारों को रेखांकित करती है।
- **RPA, 1950 की धारा 21 एवं धारा 22:** निर्वाचन आयोग को सूचियों में संशोधन करने और सुधारों को नियंत्रित करने का अधिकार देती है, जो प्रभावित व्यक्ति को किसी भी निष्कासन से पहले सुने जाने का वैधानिक अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान करती है।

निष्कर्ष

यद्यपि चुनाव की अखंडता के लिए स्वच्छ मतदाता सूचियों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वचालित या मनमाना बड़े पैमाने पर नाम हटाना लोकतांत्रिक विश्वास को कमजोर करता है। संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए वैधानिक प्राकृतिक न्याय के सख्त पालन के साथ प्रशासनिक दक्षता का समन्वय करना अपरिहार्य बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

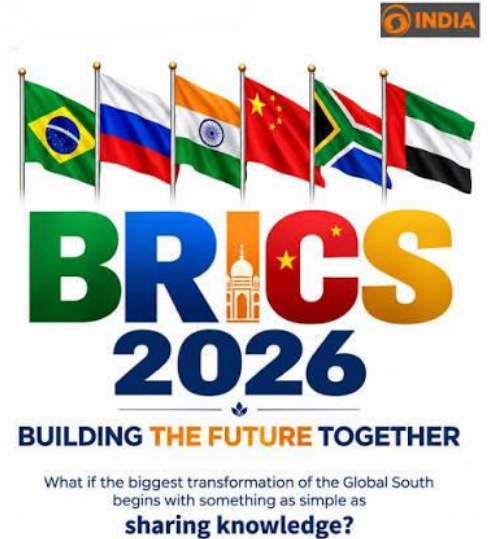
- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 326), वैधानिक निकाय (भारतीय निर्वाचन आयोग), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, और नागरिकों के अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय।

10. आर्थिक सहयोग को साझा समृद्धि में बदलना: यूई-भारत ब्रिक्स विजन

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **यूई का मुख्य जुड़ाव सिद्धांत:** जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के बाद से, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपनी भागीदारी को व्यावहारिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर आधारित करता है ताकि मूर्त वैश्विक आर्थिक अवसर पैदा किए जा सकें।
- **विविधीकरण और पूरकता:** ब्रिक्स की ताकत इसकी आंतरिक विविधता में निहित है, जो ग्लोबल साउथ में पूंजी, संसाधन-समृद्ध उत्पादकों, उपभोक्ता गंतव्यों और विनिर्माण केंद्रों को जोड़ती है।
- **भारत-यूई आर्थिक संबंधों को मजबूत करना:** व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के तहत गैर-तेल द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 17% बढ़कर \$76 अरब से अधिक हो गया, दोनों देशों का लक्ष्य 2032 तक \$200 अरब का है।

- **भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए समर्थन:** यूएई ने 18वें शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) पर केंद्रित भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया।
- **NDB के माध्यम से विकास वित्तपोषण:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए \$40 अरब से अधिक के वित्तपोषण को मंजूरी दी है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण फंडिंग तंत्र के रूप में कार्य कर रहा है।
- **व्यापार से परे कनेक्टिविटी:** आर्थिक एकीकरण शिक्षा, नवाचार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और संप्रभु धन निवेश (sovereign wealth investment) नियोजन फैले बहु-क्षेत्रीय संस्थागत संबंधों द्वारा संचालित होता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):** एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता ढांचा जो वस्तुओं, सेवाओं और सीमा पार निवेशों में शुल्क को कम करता है और व्यापार बाधाओं को समाप्त करता है।
- **ग्लोबल साउथ (Global South):** न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन की दिशा में काम कर रहे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकासशील, उभरती और गैर-पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सामूहिक शब्द।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** निदेशक तत्व जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने, संधि दायित्वों को बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय शांति व आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **विदेश व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992:** केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समझौतों और द्विपक्षीय व्यापार ढांचों पर बातचीत करने, निष्पादित करने और विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत करता है।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक पर समझौता (2014):** सतत विकास परियोजनाओं के लिए NDB संचालन, कानूनी स्थिति, पूंजी आवंटन और वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाली बहुपक्षीय संधि।

निष्कर्ष

ब्रिक्स के भीतर यूएई की सक्रिय भागीदारी और भारत के साथ इसका गहराता व्यापारिक संरेखण बहुध्रुवीय आर्थिक विकास के लिए एक आधुनिक ढांचे को दर्शाता है। संप्रभु धन, व्यापार एकीकरण और रणनीतिक कनेक्टिविटी का संयोजन ग्लोबल साउथ में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में कार्य करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव; महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान (BRICS, NDB)।

- जीएस पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था (द्विपक्षीय व्यापार संतुलन, पूंजी प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण)।

11. गणितीय सफलताओं में एआई, डेटा गोपनीयता और नैतिकता: नेवियर-स्टोक्स विवाद

प्रमुख बिंदु और सारांश

- नेवियर-स्टोक्स क्लेम मिलेनियम समस्या:** शोधकर्ता ट्रिस्टन बकमैस्टर और लेवेंट अल्योगे ने \$1 मिलियन के मिलेनियम पुरस्कार समस्या के विकल्प C और D को लक्षित करते हुए, 200 साल पुराने नेवियर-स्टोक्स समीकरणों में सीमित-समय के मजबूर विस्फोट (finite-time forced blow-up) के प्रमाण का निर्माण करने के लिए क्लाउड (Claude) और जीपीटी-5.6 सोल (GPT-5.6 Sol) जैसे एआई मॉडल का उपयोग किया।
- स्कूपिंग और कॉर्पोरेट आरोप:** ओपनएआई (OpenAI) ने बाद में दावा किया कि 10,000 एआई एजेंटों के एक समूह ने लाखों डॉलर की लागत वाले 88 घंटे के कम्प्यूटेशनल मैराथन में समस्या के सटीक समान सूक्ष्म सूत्रीकरण को स्वतंत्र रूप से हल किया।
- डेटा नैतिकता और निगरानी संबंधी चिंताएं:** इस बात को लेकर आरोप उठे कि क्या ओपनएआई के आंतरिक मॉडल को पिछले वर्ष के दौरान ओपनएआई कोडैक (OpenAI Codex) पर दर्ज बकमैस्टर के निजी उपयोग लॉग पर प्रशिक्षित किया गया था या उनकी वहां तक पहुंच थी।
- संदिग्ध दबाव और शैक्षणिक कदाचार:** बकमैस्टर ने आरोप लगाया कि ओपनएआई प्रतिनिधियों ने पेपर के सह-लेखकत्व को बदलने, एंथ्रोपिक-संबद्ध सह-लेखकों को हटाने के लिए अनैतिक प्रस्ताव दिए, और सार्वजनिक प्रकटीकरण को दबाने के लिए करियर संबंधी धमकियां जारी कीं।
- सत्यापन का अंतर:** ओपनएआई का दावा किया गया 100-पृष्ठ का प्रमाण बाहरी सहकर्मी समीक्षकों द्वारा असत्यापित रहता है, जिससे यह चिंता बढ़ जाती है कि क्या आउटपुट एक गणितीय रूप से सही प्रमाण का प्रतिनिधित्व करता है या एक जटिल भ्रमपूर्ण अनुमान (hallucinated approximation)।
- मानव पूंजी बनाम एआई बेंचमार्क:** फील्ड्स पदक विजेता टेरेस ताओ सहित प्रमुख गणितज्ञों ने वास्तविक मानव समझ को आगे बढ़ाने के बजाय मौलिक वैज्ञानिक खोजों को कॉर्पोरेट प्रचारात्मक बेंचमार्क तक सीमित करने की अवसर लागत पर प्रकाश डाला।

आवश्यक परिभाषाएं

- नेवियर-स्टोक्स समीकरण (Navier-Stokes Equations):** न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित पानी और हवा जैसे चिपचिपे (viscous) द्रव पदार्थों की गति को नियंत्रित करने वाले आंशिक अंतर समीकरणों (partial differential equations) का एक समूह।
- फ़ोर्सिंग फ़ंक्शन (Forcing Function):** एक बाहरी वेक्टर प्रभाव जो भौतिक नियमों का उल्लंघन किए बिना या अचानक असंतुलन का अनुभव किए बिना किसी द्रव प्रणाली में निरंतर ऊर्जा या गति पेश करता है।

- **फ़िनाइट-टाइम ब्लो-अप (Finite-Time Blow-Up):** एक गणितीय परिदृश्य जहां एक अंतर समीकरण के समाधान एक परिमित अवधि में अनंत तक पहुंच जाते हैं, जो सुगमता और पूर्वानुमेयता के टूटने का संकेत देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने पुट्टास्वामी फैसले में डिजिटल गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा को शामिल करने के लिए विस्तारित किया।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है, जो कॉर्पोरेट डेटा फिडुशियरीज पर सख्त उद्देश्य-सीमा, डेटा न्यूनतमकरण और स्पष्ट सहमति जनादेश लागू करता है।
- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** मूल साहित्यिक और वैज्ञानिक कृतियों की रक्षा करता है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों, स्वामित्व और अनधिकृत डेटा निष्कर्षण या प्रतिलिपि के खिलाफ सुरक्षा के दायरे को परिभाषित करता है।

निष्कर्ष

नेवियर-स्टोक्स प्रमाण के आसपास का संघर्ष कॉर्पोरेट एआई विकास, बौद्धिक संपदा और शैक्षणिक अनुसंधान अखंडता के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है। वास्तविक वैज्ञानिक खोज को संरक्षित करते हुए कॉर्पोरेट डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त डेटा प्रशासन ढांचे और नैतिक मानदंडों की स्थापना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

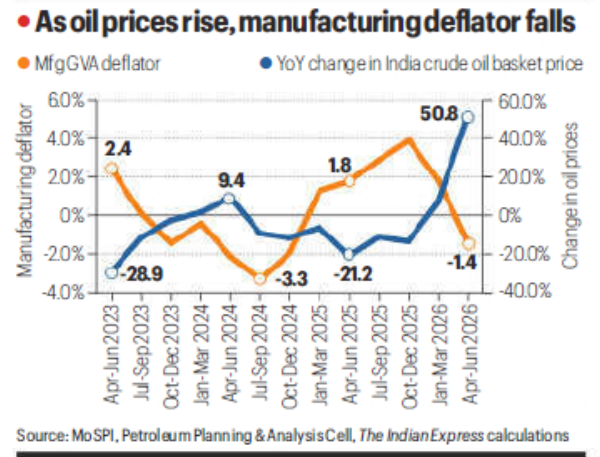
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और अनुप्रयोग), बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के मुद्दे, और साइबर सुरक्षा व डेटा गोपनीयता।
- **जीएस पेपर IV:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नैतिकता, कॉर्पोरेट प्रशासन, शैक्षणिक अखंडता, और उभरती प्रौद्योगिकियों में नैतिक दुविधाएं।

12. उत्पादक मूल्य और दोहरा-अवस्फीति (Double-Deflation): नई जीडीपी श्रृंखला में प्रमुख बदलाव

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **MoSPI द्वारा पद्धतिगत बदलाव:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने दोहरे-अवस्फीति (double-deflation) के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) को शामिल करते हुए नई 2022-23 आधार श्रृंखला के तहत जीडीपी गणना विधियों का पुनरुद्धार किया।
- **जीडीपी वृद्धि दर में ऊपर की ओर संशोधन:** दोहरे-अवस्फीति में परिवर्तन के कारण पिछले आर्थिक आंकड़ों में महत्वपूर्ण ऊपर की ओर संशोधन हुआ, जिसमें जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 7.8% से बढ़ाकर 8.6% करना शामिल है।

- **एकल-अवस्फीति से बदलाव:** इससे पहले, MoSPI इनपुट और आउटपुट के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) उप-सूचकांकों के माध्यम से एकल-अवस्फीति का उपयोग करता था, जिसने इनपुट और आउटपुट कीमतों के भिन्न होने पर वास्तविक मूल्य वर्धित (Value Added) को विकृत कर दिया था।



- **दोहरे-अवस्फीति को अपनाना:** दोहरे-अवस्फीति के तहत, इनपुट मूल्यों को वास्तविक इनपुट मूल्य परिवर्तनों (जैसे कच्चे तेल के सूचकांकों) का उपयोग करके अवस्फूर्त (deflated) किया जाता है, जबकि आउटपुट मूल्यों को आउटपुट कीमतों का उपयोग करके अवस्फूर्त किया जाता है, जो वास्तविक आर्थिक मूल्य वर्धित को दर्शाता है।
- **नकारात्मक अवस्फीतिकर्ताओं (Negative Deflators) की घटना:** जब इनपुट कीमतें आउटपुट कीमतों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, तो दोहरे-अवस्फीति के कारण वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि नाममात्र (नॉमिनल) GVA वृद्धि से अधिक हो जाती है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में एक नकारात्मक अंतर्निहित अवस्फीतिकर्ता बनता है।
- **सेवा क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि का सुधार:** सामान्य WPI उप-सूचकांकों को लक्षित PPI अवस्फूर्तकों से बदलने से कम कमोडिटी मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान वास्तविक सेवा क्षेत्र GVA के ऐतिहासिक अतिआकलन को रोका जा सकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **दोहरा-अवस्फीति (Double-Deflation):** एक लेखांकन विधि जहां किसी उद्योग के नाममात्र आउटपुट और नाममात्र मध्यवर्ती इनपुट को उत्पादित और उपभोग की जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के अनुरूप मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके अलग-अलग अवस्फूर्त (deflated) किया जाता है।
- **उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI):** एक सूचकांक जो करों, व्यापार मार्जिन और परिवहन लागतों को छोड़कर, कारखाने के गेट पर घरेलू उत्पादकों द्वारा उनके आउटपुट के लिए प्राप्त कीमतों में औसत परिवर्तनों को मापता है।
- **सकल मूल्य वर्धित (GVA):** उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग किए गए मध्यवर्ती इनपुट के मूल्य को घटाकर किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल आउटपुट का माप।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008:** आधिकारिक सांख्यिकी संकलन के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांख्यिकीय डेटा के संग्रह की सुविधा प्रदान करने वाला वैधानिक ढांचा।
- **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961:** राष्ट्रीय लेखांकन, जीडीपी अनुमान और सूचकांक संकलन का जनादेश MoSPI के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और राष्ट्रीय लेखा प्रभाग को सौंपता है।

निष्कर्ष

उत्पादक मूल्य सूचकांक का उपयोग करके दोहरे-अवस्फीति में परिवर्तित होना भारत की जीडीपी श्रृंखला की सांख्यिकीय सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। ऐतिहासिक मूल्य विकृतियों को समाप्त करना औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक उत्पादकता की एक वास्तविक तस्वीर प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (राष्ट्रीय आय लेखांकन, जीडीपी अनुमान पद्धतियां, मुद्रास्फीति सूचकांक, और MoSPI सुधार)।

